

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-**X** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०..... 420/2023

सरकार

बनाम

मूलचन्द आदि

अंतर्गत धारा-308/34,325/34,323/34,

504, 506 भा०द०सं०

थाना-विजयनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-96/2020

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मूलचन्द, पिन्दू तथा अमित जमानत पर मय अधिवक्ता उपस्थित आया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मूलचन्द, पिन्दू तथा अमित के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-308/34,325/34,323/34,504, 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12-12-2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

(अनिल कुमार-**X**)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 20.11.2023